झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

2रा तल्ला, राजेन्द्र जवान भवन–सह–सैनिक बाजार, मेन रोड, रॉची – 834001.

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि (1) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक का True-up करने हेतु आयोग से अनुरोध किया है । आवेदन की एक प्रति झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अपने वेबसाईट (www.jbvnl.co.in) पर जारी किया था तथा इसकी सूचना दिनांक 03 जनवरी 2018 के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए दिनांक 24/01/2018 तक आपत्ति/सुझाव/मंतव्य मांगा था। इस आवेदन की एक प्रति झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के वेबसाईट (www.jserc.org/jbvnl2017.aspx) पर भी उपलब्ध है ।

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त आवेदन पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव/मंतव्य का उत्तर संबंधित व्यक्ति/संस्था को भेज दिया गया है ।

(2) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वर्ष 2016-17 का APR, वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 का Revised ARR देते हुए वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए विद्युत वितरण दर निर्धारण करने हेतु आयोग से अनुरोध किया है । आवेदन की एक प्रति झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अपने वेबसाईट (www.jbvnl.co.in) पर जारी किया था तथा इसकी सूचना दिनांक 24, 25 एवं 31 जनवरी 2018 के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए दिनांक 13/02/2018 तक आपत्ति/सुझाव/मंतव्य मांगा था । इस आवेदन की एक प्रति झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के वेबसाईट (www.jserc.org/jbvnl2017.aspx) पर भी उपलब्ध है । झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त आवेदन पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव/मंतव्य का उत्तर संबंधित व्यक्ति/संस्था को भेज दिया गया है ।

विदित हो कि राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि वह JBVNL को किसी प्रकार का Resource Gap उपलब्ध नहीं कराएगी । अतः JBVNL ने अपने आवेदन में औसत आपूर्ति लागत पर वितरण दर निर्धारण करने का प्रस्ताव दिया है । इसके अतिरिक्त टैरिफ सरलीकरण, kWh आधारित बिलिंग के बदले kVAh आधारित बिलिंग, LTIS उपभोक्ताओं के लिए Installation आधारित को हटाकर Demand आधारित टैरिफ, बिना मीटर वाले श्रेणी का लोप एवं विविध शुल्कों में संशोधन आदि का भी प्रस्ताव JBVNL द्वारा दिया गया है ।

विद्युत वितरण दर निर्धारण करने के पूर्व उक्त आवेदन पर झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, रॉची के द्वारा जन–सुनवाई निम्नलिखित तिथियों को उनके सामने दर्शाये गए समयों एवं स्थानों पर होना सुनिश्चित किया गया है –

जन–सुनवाई की तिथि एवं समय	जन–सुनवाई का स्थान	जन–सुनवाई का स्थल
24.02.2018 (शनिवार) 11.00 बजे पूर्वाह्न से	चाईबासा	पिल्लई हॉल, चाईबासा
26.02.2018 (सोमवार) 11.00 बजे पूर्वाह्न से	धनबाद	टॉउन हॉल, गोल्फ मैदान के नजदीक, धनबाद ।
27.02.2018 (मंगलवार) 11..00 बजे पूर्वाह्न से	दुमका	इन्डोर स्टेडियम, बाईपास रोड, दुमका
6.03.2018 (मंगलवार) 11.00 बजे पूर्वाह्न से	मेदनीनगर	टॉउन हॉल, शिवाजी मैदान के नजदीक, गिरवर हाई स्कूल के सामने, मेदनीनगर
7.03.2018 (बुधवार) 11.00 बजे पूर्वाह्न से	रॉची	आर्यभट्ठ सभागार, रॉची कॉलेज कैम्पस, रॉची

अतः सभी इच्छुक व्यक्ति/संस्था, उपभोक्ता समूह एवं विज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि जन–सुनवाई में उपस्थित होकर लिखित/मौखिक/PowerPoint presentation के माध्यम से सुझाव, आपत्ति एवं मंतव्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आदेशानुसार

20/2/18

सचिव